# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

## राजस्व अपील संख्या 118/2019

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| प्यारी पुत्री स्व0 चैनाराम जाति बावरी निवासी सिनला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली | | 1– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन<br>2– स्व0 भोमाराम पुत्र त्रिलोक के का0मु0<br>2.1–कुकली पुत्री भोमाराम<br>2.2–स्व0कृष्णा पुत्री भोमाराम के का0मु0<br>2.2.1– जोगाराम पुत्र कृष्णा जाति बावरी निवासी लाम्बिया तहसील पाली<br>3–स्व0 चैना पुत्र त्रिलोक के का0मुकाम–<br>3.1– उदा पुत्र स्व0चैनाजी के का0मु0–<br>3.2–रामलाल पुत्र उदाजी<br>3.3–बाबूलाल पुत्र उदाजी<br>3.4–मंगलाराम पुत्र चैनाजी बावरी निवासी सिनला तहसील मारवाड जंक्शन<br>3.5–गोरी पुत्री चैनाजी बेवा स्व0 भुण्डाराम जाति बावरी निवासी खारडी तहसील मारवाड जंक्शन<br>3.6–तीजा पुत्री चैनाजी पत्नी गोरधन जाति बावरी निवासी पाली फाटक के पास, मारवाड जंक्शन जिला पाली<br>4– स्व0 वंशीलाल पुत्र स्व0 त्रिलोक के का0मुकाम–<br>4.1– मांगीलाल पुत्र वशीलाल<br>4.2– दीपाराम पुत्र वशीलाल जाति बावरी निवासीगण सिनला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन जो राजस्व प्रकरण संख्या 250/2018 अनवान प्यारी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सिनला मे दिनांक 25–6–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री हिम्मत सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

### निर्णय

दिनांक 25–3–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सिनला पटवार मण्डल सिनला स्थित खसरा नंबरान 813, 814, 815, 816, 872 एवं 1057 कुल 6 खसरान की 11.0907 हेक्टेयर भूमि त्रिलोक पुत्र बाला कौम बावरी सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार त्रिलोक के फोत होने पर उपरोक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 1126 कुकली, कृष्णा पुत्रियां भोमाराम, उदाराम, मंगलाराम पि0 चैनाराम, मांगीलाल, दीपाराम पि0 बंशी कौम बावरी सा0 देह के नाम दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत सिनला द्वारा दिनांक 21–4–2006 को स्वीकृत कर दिया । उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अपीलार्थियां प्यारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रथम अपील यह कथन करते हुए पेश की कि स्व0 खातेदार त्रिलोक के वारिसान मे स्व0 चैनाराम के अपीलार्थियां प्यारी एवं अन्य दो जायंदा पुत्रियां मोरकी व तीजो के जीवित रहते हुए उक्त अपीलाधीन भूमि मे स्व0 चैनाराम के हिस्से की भूमि के नामांतरकरण संख्या 1126 मे केवल स्व0 चैनाराम के पुत्र मंगलाराम एवं उदाराम (फोत) के दो पुत्रो रामाराम एवं बाबूलाल के नाम दर्ज करते हुए विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत सिनला द्वारा स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2019 के द्वारा अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थियां ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अन्य रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1126 मे वर्णित भूमि के मूल खातेदार त्रिलोक पुत्र बाला कौम बावरी के विधिक वारिसान का अपील मीमो के पद संख्या 4 एवं 5 मे किये गये उल्लेख को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां मृतक खातेदार त्रिलोक के पुत्र चैनाराम की जांयदा पुत्री है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे स्व0 चैनाराम के विधिक वारिसान की वंशावली की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलाधीन फोतेदगी म्युटेशन मृतक त्रिलोक के सभी विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिये था परंतु अपीलार्थियां के पिता चैनाराम के हिस्से की खातेदारी की भूमि मे केवल उसके पुत्र मंगलाराम एवं दो पोते रामाराम एवं बाबूलाल पुत्रान स्व0 उदाराम के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलार्थियां एवं उसकी दो बहनो का भी मृतक खातेदार चैनाराम के खातेदारी की भूमि मे उसके पुत्रो के समान अधिकार था जिनका उक्त नामांतरकरण मे नाम दर्ज किये बिना स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे इस कानूनी प्रावधान की अनदेखी करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि इसी नामांतरकरण मे त्रिलोक के अन्य पुत्र भोमाराम के देहांत होने पर उसकी दो पुत्रियां वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2/1 व 2/2 के नाम अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1126 मे दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया है इसलिए उसी के अनुरूप अपीलार्थियां एवं चैनाराम जी की अन्य दो पुत्रियों का भी नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु सरपंच ग्राम पंचायत सिनला ने जानबूझकर अपीलार्थियां को अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 1126 स्वीकृत किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाधीन

म्युटेशन संख्या 1126 स्वीकृति का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक मे रखे बिना ही अकेले सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो क्षेत्राधिकार के परे होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने इस संबंध मे आर.आर.डी. 1984 पेज 174 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त म्युटेशन बिना विधिक वारिसान की जांच किये तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत जाकर स्वीकृत किया गया था जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रावधानो पर ध्यान दिये सरसरी तौर पर अपीलार्थियां की प्रथम अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2019 को एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1126 दोनो को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रकट नही किये जाने से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलार्थियां की उक्त द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1126 का भी अवलोकन किया तथा वर्तमान प्रस्तुत अपील मीमो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । वर्तमान मामले मे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थियां मृतक खातेदार चैनाराम की जायंदा पुत्री है तथा अपीलाधीन भूमि के मूल खातेदार त्रिलोक की पोती है । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1126 का अवलोकन किया जो खातेदार त्रिलोक के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे उसके वारिसान के नाम फोतेदगी का भरा जाकर प्रस्तुत किया ।

वर्तमान अपील मीमो के पद संख्या 4 व 5 मे मृतक त्रिलोक के समस्त विधिक वारिसान का उल्लेख किया हुआ है जिसके अनुसार खातेदार त्रिलोक के 3 पुत्र कमशः भोमाराम, चैनाराम एवं बंशीलाल है ।

मृतक खातेदार त्रिलोक के पुत्र भोमाराम का देहांत उक्त म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व हो चुका था इसलिए उसके खातेदारी की भूमि मे उसके वारिसान मे उसकी दो पुत्रियो का नाम उक्त म्युटेशन संख्या 1126 मे दर्ज किया गया जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2/1 एव 2/2 है ।

मृतक त्रिलोक के दूसरे पुत्र का नाम स्व0 चैनाजी जिसके दो पुत्र उदाराम एवं मंगलाराम का नाम उक्त म्युटेशन संख्या 1126 मे दर्ज है परंतु मृतक चैनाजी के दो पुत्रो के अलावा तीन पुत्रियां कमशः प्यारी (वर्तमान अपीलार्थियां), मोरी एवं तीजो है, जो वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 3/5 व  एवं 3/6 है तथा वे भी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जीवित होते हुए उनका नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज नही कर उन्हे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखा गया है, जो समर्थन योग्य नही है ।

मृतक खातेदार त्रिलोक के तीसरे पुत्र का नाम बंशीलाल है जिसका स्वर्गवास म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व ही हो जाने से उसके दो पुत्र मांगीलाल एवं दीपाराम जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 4/1 व 4/2 का नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज किया हुआ है ।

उपरोक्त स्थिति अनुसार अपीलार्थियां जो मृतक खातेदार चैनाजी की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होते हुए उनका नाम अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1126 मे दर्ज नही किया गया होने से उक्त म्युटेशन संख्या 1126 विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है,जो कानूनी प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित हुआ होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2019 एवं म्युटेशन संख्या 1126 दोनो ही निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को मृतक खातेदार चैनाराम के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत म्युटेशन की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर